राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 204 / 2022

निर्णय दिनांक : 16.09.2023

मो0 हुसैन वगै0 बनाम मो0 यासीन वगै0

1. मो. हुसैन पुत्र उस्मान जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
2. मो. सलीम पुत्र उस्मान जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
3. मेहबूब अली पुत्र उस्मान जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
4. अनिशा पत्नी मंजूर हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
5. तबसुम पुत्री मंजूर हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
6. सिमरन चौहान पुत्री मंजूर हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
7. मंजूर हुसैन पुत्र मंजूर हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता अनिशा पत्नी मंजूर हुसैन

——— वादी

बनाम

1. मोहम्मद यासीन पुत्र मेहरूदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
2. अब्दुल गफ्फार पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
3. इदरीश पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
4. जाकिर हुसैन पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
5. जाफर पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
6. मुमताज पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
7. आरिफ पुत्र सलाउदीन उर्फ इस्लामुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
8. जमीला पत्नी अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
9. बानो पुत्री अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू
10. रूकसाना पुत्री अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

11. सलीम पुत्री अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू

12. युनुस अली पुत्र अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू

13. खुर्शीद पुत्र अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू

14. लियाकत पुत्र अलीमुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं. 49, इलाहियों का मोहल्ला तहसील व जिला झुन्झुनू

15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री तैयब हुसैन एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में जमीन हाल ख.नं. 2279 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नं. 2280 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 2280/3981 रकबा 1.55 है0, खसरा नं. 2280/3985 रकबा 0.30 है0 एवं खसरा नं. 2281 रकबा 3.20 है0कुल किता 5 का कुल रकबा 5.46 है0 स्थित है। वादपत्र में वर्णित भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज मेहरूदीन की भूमि है जिनके चार पुत्र इस्लामुदीन, मो. यासीन, उस्मान व अलीमुदीन हुए जो कि मेहरूदीन के देहान्त के बाद प्रत्येक 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त हुए। बाद में उस्मान के देहान्त के बाद उनके 1/4 हिस्से पर वादीगण सामलाती रूप से काबिज काश्त हुए तथा इस्लामुदीन के देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 उनके 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हुए। अलीमुदीन के देहान्त के बाद उनके 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 14 काबिज काश्त हुए तथा अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 मो. यासीन काबिज काश्त है।

इस प्रकार वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादी गण 1 लगायत 14 अपने अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारा के हिसाब से काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने को कहा तो आज कल करके टालते रहे हैं तथा भू माफियाओं के चक्कर में आकर उपरोक्त भूमि को छोटे–छोटे टुकड़ों में उसके प्लॉट बनाकर बेचने की फिराक में हैं। प्रतिवादी गण बिना विभाजन ही वादीगण को भूमि का लेवल कर, पेड़ काटकर उसमें सड़क डालने की धमकियां देने लगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में हैं जिनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस कारण वादीगण को अपने हक हकूक की रक्षार्थ यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 09.01.2023 को वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गये। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/609 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये जाकर बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तैयब हुसैन ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार श्री श्रवण

उपखण्ड अधिकारी ... (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मौजी उपस्थित होकर अनापति जाहिर की। बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि संलग्न प्रर्दश 1 जमाबंदी में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांक : भू0अ0/2023/609 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner